न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/160/2021	21–10–2021	16–06–2022

1. उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) राजगढ जिला अलवर। (राजस्थान)

–प्रार्थी

बनाम

1. ओमप्रकाश मूलाराम निवासी अणखीसर थाना नोखा जिला बिकानेर (राज0)

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 बाबत जप्तशुदा उर्वरक प्रोम, बैच न05 मात्रा 445 बैग को राजसात किये जाने के कंम में।

उपस्थितः–

1. श्री विश्राम मीणा ..... – विभागीय प्रतिनिधि
2. श्री रामकिशन गुर्जर – वकील अप्रार्थी

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी बीज/उर्वरक/कीटनाशक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) राजगढ जिला अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत 6 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनाक 17.10.2021 को प्रथम सूचना रिपोर्ट 0284 दिनाक 17.10.2021 पुलिस थाना थानागाजी में जप्तशुदा उर्वरक प्रोम, बैच न0 5, मात्रा 445 बैग को राजसात किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी बीज/उर्वरक/कीटनाशक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) राजगढ जिला अलवर ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनाक 17.10.2021 को सहायक कृषि अधिकारी थानागाजी द्वारा दूरभाष पर सूचना दी गयी की पेट्रोल पम्प के पास बस स्टेण्ड के नजदीक गाडी संख्या आर. जे. 07 जी. बी. 8267 से कृषको को उर्वरक का बेचान अवैध रूप से किया जा रहा है, सूचना मिलने के बाद सहायक कृषि अधिकारी व कृषको को दूरभाष पर बताया कि पुलिस थाना थानागाजी से सम्पर्क कर गाडी को थाने में बंद करवाये। उसके उपरान्त थानाअधिकारी पुलिस थाना थानागाजी के द्वारा गाडी को थाने में लाये। कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) राजगढ एवं गिरधर सिंह देवल सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) राजगढ दोपहर 1.00 बजे पुलिस थाना थानागाजी में पहुचे, पुलिस थाने के सामने मुख्य दरवाजे पर ट्रक न0 आर. जे. 07 जी. बी. 8267 खडा हुआ था। पुलिस थाना थानागाजी में मौजुद थानाधिकारी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

राजेश वर्मा, ट्रक के डाइवर ओमप्रकाश पुत्र मूलाराम से ट्रक में भरे हुए **prom** उर्वरक के संबंध में जानकारी ली गयी ओमप्रकाश पुत्र मूलाराम द्वारा बताया कि मैं गुजरात से यह उर्वरक लेकर आया था, मुझे यह **prom** उर्वरक अलवर ले जाना था, लेकिन दूरभाष पर मुझे बताया कि गाडी थानागाजी रोककर माल उतारना है, इस लिए मेरे द्वारा गाडी रोकी गयी और जिन व्यक्तियो द्वारा माल उतारा गया उन्हे मैं नही जानता हूँ उन लोगो द्वारा एक गाडी पिकअप भरकार भेजी गयी व कुछ अज्ञात लोगो के द्वारा मौके पर ही कुछ कृषको को बेचान भी किया गया। ट्रक गाडी के ड्राईवर के पास दस्तावेजों में पाया कि ड्राईवर के पास थानागाजी के नाम से किसी प्रकार की बिल्टी व बिल नहीं था। ड्राईवर के पास मौजपुर व एम. आई. ए. अलवर की बिल्टी पाई गई। ड्राईवर से पूंछा गया कि आपके पास फोन किसने किया था, लेकिन ड्राईवर द्वारा इसका कोई जवाब नहीं दिया न ही उसने अपने बयानों में लिखा गया। उवर्रक क्रय करने वाले क्रषक मदनलाल मीणा निवासी नाथूसर तहसील थानागाजी के बयान लिये गये। मदनलाल मीणा द्वारा बताया गया कि मैं थानागाजी से घर आ रहा था, तब मैंने गाडी में से उवर्रक उतारते हुए देखा तो मैंने अज्ञात व्यक्तियों से उवर्रक मांगा तो उन्होने कहा कि एक बैग की दर 1300/–रूपये है, उसके बाद मैंने 8 बैग उवर्रक के लिये, बैग पर मैंने देखा कि उवर्रक की एम.आर.पी. दर 1050/–रूपये है। मौंके पर उपस्थित मीडिया वालों को भी मैंने यह जानकारी दी थी, उसके उपरान्त पुलिस मौंके पर पहूंची कृषक मदनलाल मीणा के बयान कलमबद्ध किये गये। ओमप्रकाश पुत्र मूलाराम निवासी अणखीसर थाना नौखा जिला बीकानेर द्वारा अनाधिकृत रूप से लोगों को माल उतारा गया। अज्ञात लोगों द्वारा मौंके पर कृषकों को डी. ए. पी. व जैविक खाद् कहकर प्रतिबैग 1300/–रूपये में बेचान किया गया जबकि, प्रति बैग उवर्रक फॉम की एम. आर. पी. बैग पर 1050/–अंकित है। मेरे स्वयं के द्वारा ट्रक में लदे हुए उवर्रक का निरीक्षण किया एवं उसके उपरान्त गुणवत्ता की जांच हेतु नमूना संग्रहण जांच हेतु आहरित किया गया जो जरिये पत्र क्रमांक 4230 दिनांक 18.10.2021 को उप निदेशक कृषि (गुण व नि0) राजकीय उवर्रक प्रयोगशाला को भिजवाये गये एवं शेष नमूने रफरी विश्लेषण हेतु जरिय पत्र क्रमांक 4231–32 दिनांक 18.140.2021 के द्वारा संयुक्त निदेशक कृषि (ति0) भरतपुर खण्ड भरतपुर की अभिरक्षा में भेजे गये तथा प्रकरण की सूचना जरिये पत्र क्रमांक 4227–29 दिनांक 18.10.2021 के द्वारा संयुक्त निदेशक कृषि (गुण एवं नि0) कृषि आयुक्तालय जयपुर, संयुक्त निदेशक कृषि (ति0) भरतपुर खण्ड भरतपुर व उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद अलवर को भिजवाई गई। नमूना संग्रहण के पश्चात अवैध उवर्रक को जब्त कर पुलिस थाना थानागाजी में कार्यरत् शिवराम हैड कांस्टेबल 1434 को उवर्रक फोम, बैच नं–5 मात्रा 445 बैग मय ट्रक गाडी नम्बर आर.जे.07 जी.बी. 8267 को सुरक्षा की द्वष्टि से सुपुर्दगी में दिया गया। ड्राईवर ओमप्रकाश अन्य व्यक्तियों द्वारा उवर्रक का अवैध कारोबार किया गया है, एंव कृषकों के साथ धोखाधडी की गई है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उवर्रक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत गैर कानूनी है। उक्त अवैध करोबार में संलिप्तता के मद्देनजर ट्रक गाडी नम्बर आर. जे. 07 जी. बी. 8267 ड्राईवर औमप्रकाश पुत्र मूलाराम ग्राम अणखीसर थाना नौखा जिला बीकानेर के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना थानागाजी में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं उवर्रक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत दर्ज कराई गई है। प्रार्थना पत्र 6 ए स्वीकार किया जाकर **जप्तशुदा उर्वरक प्रोम, बैच न0 5, मात्रा 445 बैग को राजसात किया जावे।**

अप्रार्थी द्वारा जारी नोटिस के जवाब में जरिये अभिभाषक अंकित किया है कि प्रार्थी अणखीसर पुलिस थाना नौखा जिला बीकानेर का निवासी है। और गाडी का ड्राईवर है। ट्रक नम्बर आर.जे.07 जी.बी. 8267 का मालिक है। और ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

मै0 ओएसिस कम्पनी लि0 अहमदाबाद गुजरात से अपने उवर्रक खाद् के कट्टे लोड कर बिल्टी व बिल आदी सहित दिनांक 14.10.2021 को अलवर जिले में लक्ष्मणगढ़ मौजपुर एम.आई.ए. अलवर सिरमोर में खाली करने के लिये रवाना हुआ था। दिनांक 17.10.2021 को मैं ओएसिस कम्पनी के अलवर जिले के डिस्ट्रीब्यूट्र चन्द्रप्रकाश उर्फ सीपी का मोबाईल नम्बर 9785008139 से कॉल आया और बताया कि मै0 ओएसिस कम्पनी के लिये अहमदाबाद गुजरात से जो माल खाद् आ रहा है, उसमें से जलसिंह, हरियाली बीज भण्डार एम. आई. ए. अलवर का माल खाद् थानागाजी में देने है, अलवर डीलर डिस्ट्रीब्यूट्र चन्द्रप्रकाश उर्फ सीपी का विश्वास करके मैंने अपने वाहन ट्रक को थानागाजी पैट्रोल पम्प पर खडा कर दिया गया। कृछ समय पश्चात मोबाईल नम्बर 7742757301 से फोन आया कि आपके पास दो पिकअप गाडिया आई है, उसमें जलसिंह, हरियाली बीज भण्डार का माल उतारवा दो और उक्त मोबाईल से मेरी जलसिंह, हरियाली खाद् बीज भण्डार से बात करा दी। उस समय में दो पिकअप गाडिया आयी उनके चालकों ने बातचीत की और बताया कि हमें जलसिंह हरियाली बीज भण्डार ने भेजा है। मैंने विश्वास कर खाद् के कट्टों को पिकअप गाडियों में लोड करने लगे। जिसके बाद वहां ग्रामीण इकट्ठा होने लग गये। पिकअप चालक वहीं पर खाद् के कट्टे बेचने लग गये मैंने विरोध किया तो मुझे विश्वास दिलाया कि हरियाली बीज भण्डार व अलवर डीलर डिस्ट्रीब्यूट्र से हमारी बात हो गई है, चिन्ता मत करों। हरियाणा बीज भण्डार के मालिक जलसिंह मोबाईल नम्बर 8432636948 चन्द्रप्रकाश उर्फ सीपी ओएसिस कम्पनी के डीलर मोबाईन नम्बर 9785008139 ओएसिस कम्पनी लि0 अहमदाबाद गुजरात के पिकअप चालक मोबाईल नम्बर 7742757301 और 1714131886 के चालकों ने योजनाबद्ध तरीके से षड्यन्त्र रच मेरे साथ धोखाधडी करके खाद रास्ते में ही उतार लिया जिसे मुझे आर्थिक व मानसिक नुकसान हुआ। इसमें मेरी कोई बदनियति नहीं थी। कोर्ट नोटिस की कार्यवाही से मुक्त किया जावे।

प्रकरण में जप्त किये गये उवर्रक को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने हेतु मै0 ओएसिस लि0 8, उमा इन्डस्ट्रीज एस्टेट विरमग्राम हाईवे विरोचननगर अहमदाबाद गुजराज) जरिये अधिकृत प्रतिनिधि राजेन्द्र पुत्र रामजीराम निवासी मुण्डेलों का मौहल्ला मेडता सेड नागौर (राजस्थान) जरिये अधिवक्ता के प्रस्तुत किया, साथ ही निवेदन किया है, कि फर्म द्वारा भेजे गये माल को वाहन चालक ने रास्ते में एक जगह गाडी को खडा कर उसमें से कुछ कट्टे सडक पर रख दिये तथा उवर्रक को अवैध रूप से किसानों को अधिक कीमत में विक्रय किये जाने की शिकायत मिलने पर मुकामी पुलिस ने कार्यवाही करके 445 कट्टे गाडी में रखे हुए जप्त किये है। उक्त उवर्रक 445 बैग का फर्म मालिक है, तथा अन्य किसी ने उक्त बैग को प्राप्त करने लिये क्लेम भी नहीं किया है। मुकामी पुलिस को उक्त जप्तशुदा उवर्रक 445 बैग की कोई जरूरत नहीं है, तथा पुलिस थाने के कब्जे में खुले में धूप, बरसात से असुरक्षित पडे रहने से पूरी तरह से खराब होकर नष्ट हो जाएगें। जिसमें फर्म को भारी नुकसान होगा। जप्तशुदा उवर्रक के कट्टे किसी भी प्रकार से अवैध करोबार हेतु नहीं भेजे गये है, तथा न ही जप्तशुदा कट्टे धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत आते है। दोषी ड्राईवर के खिलाफ अवैध रूप से कट्टो को उतारने वावत एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। जिससे प्रार्थी की कोई सहभागिता नहीं है। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी स्वीकार कर फर्म को जप्तशुदा उवर्रक 345 बैग सुपुर्दनामा के आधार पर दिलाये जावे।

विभागीय प्रतिनिधि/अप्रार्थी विद्वान वकील/विद्वान वकील सुपर्दगार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से अज्ञात व्यक्तियो को माल उतारा गया तथा अज्ञात व्यक्तियो द्वारा मोके पर अनाधिकृत रूप से कृषको को डी.ए.पी.व जैविक खाद कहकर प्रति बैग 1300/रूपये में बेचान किया गया

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

जबकि प्रति बैग उर्वरक प्रोम की एम.आर.पी.बैग पर 1050/रूपये ही अंकित है। अप्रार्थी/अज्ञात व्यक्तियो द्वारा अवैध कारोबार किया गया है, एवं कृषको के साथ धोखाधडी की गयी है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत गैर कानूनी है, जिनके विरूद्व विभाग द्वारा पुलिस थाना थानागाजी में प्रथम सूचना रिपोर्ट 0284 दिनाक 17.10.2021 अवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज करवाया गया है। विभाग की ओर से उवर्रक गुणवत्ता की जांच हेतु नमूना संग्रहण जांच हेतु आहरित कर राजकीय उवर्रक प्रयोगशाला को भिजवाये उनकी जॉच रिपोर्ट की प्रति पेश की गयी है, जिसके अनुसार जप्तशुदा उर्वरक तय मापदण्डो पर खरे नही उतरने के कारण उनकी उपयोगिता पर संदेह है। मै0 ओएसिस लि0 8, उमा इन्डस्ट्रीज एस्टेट विरमग्राम हाईवे विरोचननगर अहमदाबाद (गुजराज) जरिये अधिकृत प्रतिनिधि राजेन्द्र पुत्र रामजीराम निवासी मुण्डेलों का मोहल्ला मेडता रोड नागौर (राजस्थान) जरिये अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत जप्तशुदा उर्वरक को सुपुर्दगी में दिये जाने का खारिज किया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जप्तशुदा उर्वरक **प्रोम, बैच न0 5 मात्रा 445 बैग को राजसात किये जाने** योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6 ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा उर्वरक **प्रोम, बैच न0 5 मात्रा 445 बैग को राजसात किये जाने** के आदेश दिये जाते है। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) राजगढ जिला अलवर। (राजस्थान) को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है, कि जप्तशुदा उर्वरक सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करे। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधिन रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 16.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16.06.2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज.) ALWAR (RAJ.)